

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 2578—2580

Dated 2-4-2011

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 866.— दिनांक 17-8-2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त नियम में उल्लिखित योग्यता एवं शर्त के अधीन वैद्युत निरीक्षक के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

क्र.सं.	नाम/श्री	पदनाम	योग्यता	के पद पर नियुक्त
1.	उपेन्द्र कुमार	उप निदेशक	बी.ई. (इलैक्ट्रिकल)	वैद्युत निरीक्षक
2.	राम चंद्र	उप निदेशक	बी.ई. (इलैक्ट्रिकल)	वैद्युत निरीक्षक
3.	एस. जी. टेन्पे*	अधीक्षण अभियंता	बी.ई. (इलैक्ट्रिकल)	वैद्युत निरीक्षक

*श्री एस जी टेन्पे को श्री एस. डी. टकसांडे, निदेशक के स्थान पर वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर चल रहे विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थानों तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/3/2010-आर एंड आर]

अशोक लवासा, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 866.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, power and function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17-8-2006, the Central Government hereby appoints following Officers of Central Electricity Authority, New Delhi as Electrical Inspector Subject to the qualification and Condition mentioned in above Rule.

S/No.	Name/Shri	Designation	Qualification	Appointed As
1.	Upendra Kumar	Deputy Director	B.E.(Elect)	Electrical Inspector
2.	Ram Chandra	Deputy Director	B.E.(Elect)	Electrical Inspector
3.	S.G.Tenpe*	Sup. Engineer	B.E.(Elect)	Electrical Inspector

*Shri S.G.Tenpe is being appointed as Electrical Inspector in place of Shri S.D.Taksande, Director.

The above mentioned official shall exercise the powers and perform function in respect of electrical works, electrical institutions and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of Central Electricity Authority, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010. The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No. 42/3/2010-R&R]

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 867.— दिनांक 17-8-2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त नियम में उल्लिखित योग्यता एवं शर्तों के अधीन निरीक्षक के रूप में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के वैद्युत संदर्भ के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/श्री	डीजीएमएस में पदनाम	के पद पर नियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धर्मेन्द्र कुमार	उप महानिदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2.	बी. के. पाणिग्रही	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
3.	बी. के. लामा	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
4.	के. एम. घोष	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
5.	एम. के. दास	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
6.	मुकेश श्रीवास्तव	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
7.	यू. एन. पांडेय	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
8.	एस. के. ठाकुर	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
9.	जी. एल. कांटा राव	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
10.	बी. एस. निम	निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
11.	राधे श्याम	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
12.	के. एस. यादव	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
13.	एम. के. मालवीय	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
14.	मधुकर सहाय	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
15.	अजय सिंह	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक
16.	टी. श्रीनिवास	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के भीतर चल रहे विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थानों तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।

विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा सं. 42/3/2010-आर एंड आर]

अशोक लवासा, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 867.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, power and function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17-8-2006, the Central Government hereby appoints following Officers of Electrical Cadre of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad as Electrical Inspector Subject to the Qualification and Condition mentioned in above Rule.

S. No.	Name of the Officer/Shri	Designation in DGMS	To be appointed as
1	2	3	4
1.	Dharmendra Kumar	Dy. Director General of Mines Safety (Elect.)	Chief Electrical Inspector
2.	B. K. Panigrahi	Director of Mines Safety (Elect.)	Electrical Inspector
3.	B. K. Lama	-do-	-do-
4.	K. M. Ghosh	-do-	-do-
5.	M. K. Das	-do-	-do-
6.	Mukesh Srivastava	-do-	Electrical Inspector
7.	U. N. Pandey	-do-	-do-

1	2	3	4
8.	S. K. Thakur	-do-	-do-
9.	G. L. Kanta Rao	-do-	-do-
10.	B. S. Nim	-do-	-do-
11.	Radhey Shyam	Dy. Director of Mines Safety (Elect.)	-do-
12.	K. S. Yadav	-do-	-do-
13.	M. K. Malviya	-do-	-do-
14.	Madhukar Sahay	-do-	-do-
15.	Aiay Singh	-do-	-do-
16.	T. Srinivas	-do-	-do-

The above mentioned official shall exercise the powers and perform function in respect of electrical works, electrical institutions and electrical rolling stock in operation within the area of Directorate General of Mines Safety, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/3/2010-R&R]

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 868.— दिनांक 17-8-2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त नियम में उल्लिखित योग्यता एवं शर्तों के अधीन वैद्युत निरीक्षक के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	योग्यता	के पद पर नियुक्त
1.	श्री एम.ए.वी. रामानुजन	उप सीईई	बी.ई./एमई	वैद्युत निरीक्षक
2.	श्री डी.डी. पाहुजा	निदेशक (आरएसई)	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	मुख्य वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के भीतर चल रहे विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थानों तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य का निर्वहन करेंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/3/2010-आर एंड आर]

अशोक लवासा, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 868.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, power and function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17-8-2006, the Central Government hereby appoints following Officers of Bangalore Metro Rail Corporation Ltd., Karnataka as Electrical Inspector subject to the qualification and condition mentioned in above Rule.

S.No.	Name of Officers	Designation	Qualification	Appointed As
1.	Sh. M.A.V. Ramanujan	Dy.CEE	BE/ME	Electrical Inspector
2.	Sh. D. D. Pahuja	Director (RSE)	Electrical Engineering	Chief Electrical Inspector

The above mentioned official shall exercise the powers and perform function in respect of electrical works, electrical institutions and electrical rolling stock in operation within the area of Bangalore Metro Rail Corporation Ltd., as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/3/2010-R&R]

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.